UPMO010030922015

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों हेतु) कक्ष संख्या 1, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (प्रीति सिंह–द्वितीय), **(उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा) – UP01613**

सत्र परीक्षण संख्या-790/2015

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

लोकेश पुत्र श्री लाखन सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी चक्कर की मिलक, पुराना आर.टी.ओ. ऑफिस, गांव मुकर्रमपुर, थाना सिविल लाइन, जिला मुरादाबाद।

……..……...अभियुक्त।

अपराध संख्या	187/2015
अन्तर्गत धारा	366,406,201 भा0 दं0 सं0 एवं वैकल्पिक धारा-302 भा0 दं0 सं0
थाना व जिला	सिविल लाइन्स, जिला– मुरादाबाद
वादी	राजवीर सिंह
प्रतिनिधित्व (वादी)	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अशोक कुमार यादव
अभियुक्त	लोकेश
प्रतिनिधित्व (अभियुक्तगण)	लक्ष्मी भारती
घटना की तिथि	09.01.2015 व 22.03.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने की तिथि	23.03.2015
आरोप पत्र संख्या व प्रेषित किये जाने की तिथि	109/2015, दिनांक-18.04.2015
सत्र सुपुर्दगी	08.07.2015
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	11.09.2015

उक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्रों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः–

क्र **0** सं**0**	प्रदर्श सं**0**	प्रपत्र का नाम	प्रमाणितकर्ता
1.	प्रदर्श क–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0 डब्लू0–1 हेड कां0 711 नवनीत कुमार

Digitally signed by PRITI SINGH
Date: 2026.01.21 16:49:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2.	प्रदर्श क–2	जी0 डी0 कायमी	पी0 डब्लू0–1 हेड कां0 711 नवनीत कुमार
3.	प्रदर्श क–3	पंचायतनामा	पी0 डब्लू0-2 किशनलाल
4.	प्रदर्श क–4	नक्शा नजरी (अंतिम संस्कार)	पी0 डब्लू0-4 निरीक्षक लव सिरोही
5.	प्रदर्श क–5	आरोप पत्र	पी0 डब्लू0-4 निरीक्षक लव सिरोही
6.	प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी (घटनास्थल)	पी0 डब्लू0-4 निरीक्षक लव सिरोही
7.	प्रदर्श क–7	तहरीर प्रार्थना पत्र	पी0 डब्लू0-4 निरीक्षक लव सिरोही
8.	प्रदर्श क–8	चिकित्सीय आख्या	पी0 डब्लू0-5 डॉक्टर हरवेन्द्र सिंह
9.	प्रदर्श क–9	चिट्ठी सी.एम.ओ.	पी0 डब्लू0-6 एडीएम शिवनारायण शर्मा
10.	प्रदर्श क–10	चिट्ठी आर.आई.	पी0 डब्लू0-6 एडीएम शिवनारायण शर्मा
11.	प्रदर्श क–11	चालान नाश	पी0 डब्लू0-6 एडीएम शिवनारायण शर्मा
12.	प्रदर्श क–12	नमूना मोहर	पी0 डब्लू0-6 एडीएम शिवनारायण शर्मा
13.	प्रदर्श क–13	फोटो नाश	पी0 डब्लू0-6 एडीएम शिवनारायण शर्मा
14.	प्रदर्श क–14	मृतका के मृत्यु कालिक बयान	पी0 डब्लू0-7 तहसीलदार श्री शर्मानन्द

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या–790/2015 में पुलिस थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-187/2015 में अभियुक्त लोकेश के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–366, 406, 201 भारतीय दण्ड संहिता विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 24.06.2015 को प्रसंज्ञान लिया गया। उक्त मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक 08.07.2015 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 27.07.2015 के अनुपालन में उक्त पत्रावली अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री राजवीर सिंह द्वारा दिनांक 23.03.2015 को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया कि "प्रार्थी राजवीर सिंह पुत्र स्व वीरबल सिंह निवासी H-NO D-22 गली नं० 1 सजय महोल्ला भजनपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली का निवासी है प्राथी की पत्नी जिसकी उम्र लगभग 35 साल श्रीमती सुनीता दिनांक 9/1/15 को सुबह लगभग 8.30 बजे के करीब उस्पताल से अपनी दवाई लेने के लिये गई थी तब प्रार्थी की पत्नी काफी समय तक घर वापस नहीं आई तब प्रार्थी ने अपनी व अपनी पत्नी के रिश्तेदारी में फोन कर व जाकर पता किया कि कही वह वहाँ तो नहीं आई है लेकिन उसका कही भी पता चला तव प्रार्थी ने 2-4 दिन बाद 14-1/15 को भजनपुर थाने दिल्ली में उसके

गुम होने की सूचना दर्ज कराई दिनांक 23/3/15 को समय करीब सुवह के 11.00 बजे एक अज्ञात नं0 जो 9045116381 है कि आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाने में आ जाये कि किसी सुनीता नाम की लड़की को आप जानते क्या तभी प्रार्थी ने कहा की हाँ वह मेरी पत्नी है और काफी समय से वह गायब है तब फोनकर्ता ने बताया की उसकी जल कर मृत्यु हो गई है तब प्रार्थी ने कहा की मैं अपनी पत्नी को लेने आ रहा हूँ जब प्रार्थी मुरा0 के सिविल लाइन्स थाने में पहुंचा तब पता लगा की किसी लेकेश पुत्र नामालूम ने उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया है परन्तु प्रार्थी ने कई वार फोन पर यह कहा था की मेरी पत्नी कोई हाथ मत लगाना जब प्रार्थी थाने पहुंचा तो पता लगा की लोकेश व उसके पूरे परिवार वालो ने जानबूझकर उसकी पत्नी का अन्तिम संस्कार कर दिया जो की न्यायहित में सही नहीं है प्रार्थी की पत्नी जब घर से बाहर निकली थी तब उसने करीब पाँच तोले की सोने की चैन दो सोने के टोप्स व चादी की 200GRM की पाजेव पहने हुये थी जिसका कुछ नहीं पता लग सका है और न ही प्रार्थी की पत्नी की जल कर मृत्यु किस कारण वश हुई इसकी भी विवेचना होनी चाहिये प्रार्थी को विश्वास है कि उसकी पत्नी को इसी लड़के ने जिसका नाम लोकेश है कि जो दिल्ली से बहला फुसलाकर मुरादाबाद अपने घर लाया और लाने के बाद प्रार्थी की पत्नी का सारा जेवर बेच दिया तो रूपये न मिलने के क्या पता उसे जलाकर मार दिया हो प्रार्थी की पत्नी का सारा जेवर लोकेश व लोकेश के परिवार वालों ने ही हडप लिया है क्योंकि प्राथी को कोई भी जेवर नहीं प्राप्त हुआ है क्योकि प्रार्थी के पहुंचने से पहले ही प्रार्थी की पत्नी का अन्तिम संस्कार कर दिया था अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि ऐसी दशा में पार्थी का मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3. उक्त प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-7** के आधार पर दिनांक 23.03.2015 को अभियुक्त लोकेश के विरूद्ध थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद में मुकदमा अपराध सं0-187/2015, धारा-201,363,366,406 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज हुआ, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया।

4. प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त लोकेश के संबंध में अन्तर्गत धारा- 366,406,201 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया।

5. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामले को सत्र न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

6. प्रश्नगत मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के दृष्टिगत अभियुक्त लोकेश के विरूद्ध दिनांक 11.09.2015 को धारा- 366,201 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

7. उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू0- 1 हेड कां0 711 नवनीत कुमार, पी0 डब्लू0- 2 किशनलाल, पी0 डब्लू0-3 मोतीराम, पी0 डब्लू0-4 निरीक्षक लव सिरोही, पी0 डब्लू0-5 डॉक्टर हरवेन्द्र सिंह, पी0 डब्लू0-6 एडीएम शिवनारायण शर्मा एवं पी0 डब्लू0-7 तहसीलदार श्री शर्मानानन्द को परक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-1, जी0 डी0 कायमी को प्रदर्श क-2, पंचायतनामे को प्रदर्श क-3, नक्शा नजरी (मृतका का अंतिम संस्कार) को प्रदर्श क-4, आरोप पत्र को प्रदर्श क-5, नक्शा नजरी घटनास्थल को प्रदर्श क-6, तहरीर प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क-7, चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क-8, चिट्ठी सी.एम.ओ. को प्रदर्श क-9, चिट्ठी आर.आई. को प्रदर्श क-10, चालान नाश को प्रदर्श क-11, नमूना मोहर को प्रदर्श क-12, फोटो नाश को प्रदर्श क-13 व मृतका के मृत्यु कालिक बयान को प्रदर्श क-14 के रूप में साबित कराया गया है।

9. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा- 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठा बताते हुए मुकदमा रंजिशन चलना बताया और कहा कि झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तथा सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

11. अभियोजन द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 09.01.2015 को वादी मुकदमा राजवीर निवासी एच.एन. डी-22 गली नं0-1 संजय मौहल्ला भजनपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली, की पत्नी मृतका को जब वह अस्पताल से दवाई लेने गयी थी को शादी के लिए विवश करने के आशय से तथा बलात्कार के आशय से उसका अपहरण करके ले गये, दिनांक 22.03.2015 को किसी समय अभियुक्त ने पीड़िता को जली अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गयी परन्तु अभियुक्त ने साक्ष्य को विलोपित करे के आशय से तथा वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से वादी मुकदमा को गलत सूचना देकर मृतका के शव को आग में जलाकर विलोपित कर दिया तथा मृतका की पांच तौले की सोने की चैन, दो सोने के टॉप्स व चांदी की पाजेब को अभियुक्त ने बेईमानी से दुर्विनियोग कर जानबूझकर आपराधिक न्यास भंग किया। अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए प्रदर्श क-1 लगायत प्रदर्श क-14 अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है। अभियोजन अपने केस को साबित करने में सफल रहा है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि की जाये।

इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा अन्य प्रस्तुत साक्षियों ने विरोधाभासी कथन किये हैं, अभियोजन अपने केस को साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

<u>समीक्षा एवं निष्कर्ष</u>

12. अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि वादी मुकदमा की पत्नी दवाई लेने अस्पताल गई थी तब वापस घर लौटकर नहीं आई। फोन पर पता किया तो पता चला कि 2-4 दिन बाद 14/01/15 को भजनपुर थाना दिल्ली में उसके गुम होने की सूचना दर्ज कराई दिनांक 23/3/15 को समय करीब सुवह के 11.00 बजे एक अज्ञात नं0 9045116381 से फोन आया कि

आप मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाने में आ जाये किसी सुनीता नाम की लड़की को आप जानते क्या तो मैंने कहा की हाँ वह मेरी पत्नी है, काफी समय से वह गायब है तब फोनकर्ता ने बताया कि उसकी जल कर मृत्यु हो गई है तब प्रार्थी ने कहा की मैं अपनी पत्नी को लेने आ रहा हूँ जब प्रार्थी मुरा0 के सिविल लाइन्स थाने में पहुंचा तब पता लगा की किसी लेकेश पुत्र नामालूम ने उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया है परन्तु प्रार्थी ने कई बार फोन पर यह कहा था की मेरी पत्नी कोई हाथ मत लगाना जब प्रार्थी थाने पहुंचा तो पता लगा की लोकेश व उसके पूरे परिवार वालो ने जानबूझकर उसकी पत्नी का अन्तिम संस्कार कर दिया। प्रार्थी की पत्नी जब घर से बाहर निकली थी तब उसने करीब पाँच तोले की सोने की चैन दो सोने के टोप्स व चादी की 200GRM की पाजेव पहने हुये थी जिसका कुछ नहीं पता लग सका है और न ही प्रार्थी की पत्नी की जल कर मृत्यु किस कारण वश हुई इसकी भी विवेचना होनी चाहिये प्रार्थी को विश्वास है कि उसकी पत्नी को इसी लड़के ने जिसका नाम लोकेश है, दिल्ली से बहला फुसलाकर मुरादाबाद अपने घर लाया और लाने के बाद प्रार्थी की पत्नी का सारा जेवर बेच दिया, रूपये न मिलने पर क्या पता उसे जलाकर मार दिया हो। मुकदमा दर्ज किया जाये।

13. इस तहरीर को साबित करने के लिए न्यायालय में **पी0 डब्लू0-1 हेड कां0 नवनीत कुमार** उपस्थित आये जिनके द्वारा बताया गया कि "यह वही एफआईआर है जो मेरे द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर दर्ज की गयी थी" एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–1 व जी.डी. कायमी को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया। जिरह में पूछने पर बताया कि "तहरीर की कॉपी वही है जो मुझे थाने में प्राप्त हुई थी।" तहरीर को गवाह ने जिरह में तस्दीक किया।

14. **पी0 डब्लू0-2** के रूप में **किशनलाल** परीक्षित हुए जिनके द्वारा बताया गया कि "घटना मार्च 2015 की है। हमारे यहाँ का लोकेश पुत्र स्व. लाखन सिंह दिल्ली से सुनीता को ले आया था। वो पहले से ही शादीशुदा थी। लोकेश तीन भाई थे। ये सुनीता को लेकर आपस में लड़ते थे। इसी से तंग आकर उसने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। फिर लोकेश ने सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया था जहाँ इसकी मृत्यु हो गयी।" जिरह में कहा कि मुझे याद नहीं है कि घटना के कितने दिन बाद मेरे हस्ताक्षर लिये गये थे।"

15. **पी0 डब्लू0-3** मोतीराम है जिनके द्वारा बताया गया कि "मैं किशनलाल के साथ अस्पताल में मोर्चरी पर गया था। वहाँ सुनीता का, जो लोकेश की पत्नी थी, का पंचायतनामा भरा गया था।" जिरह में बताया कि "मोर्चरी पर हमको किसी ने बुलाया नहीं था। जैसे हमारे गांव के और लोग गये थे, वैसे ही खबर सुनकर हम भी पहुँच गये थे। दरोगा जी ने हमको कुछ नहीं बताया था, कागज पर अंगूठा लगवाया था।"

16. **पी0 डब्लू0-4 निरीक्षक लव सिरो**ही है जिनके द्वारा इस मुकदमे की विवेचना की गई और इनके द्वारा केस डायरी के प्रपत्रों को अपनी मुख्य परीक्षा में साबित किया गया। जिरह में बताया कि इस मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा शुरू से ही की गई थी। जब मैं मौके पर पहुँचा था तो मृतका मृत अवस्था में थी। मृतका को एस.आई. शबनम खान के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। वादी मुकदमा की मृत्यु के बारे में जनता में से ही किसी ने फोन किया था। एक नंबर 9045116381 से फोन वादी के पास गया था। इस मुकदमे की विवेचना मेरे पास शुरू से ही आयी ती। जिस समय मैं मौके पर पहुंचा था, उस समय तक मृतका की मृत्यु हो चुकी थी। पंचायतनामा दरोगा शबनम खान

के द्वारा भरा गया था। मृतका की मृत्यु हो चुकी है मृतका का मृत्यु पूर्व बयान हुआ था जो नायब तहसीलदार श्री शर्मानंद जी ने लिया था। उस बयान में मृतका ने कहा था कि मैं चूल्हे पर रोटी बनाते हुए जल गयी हूँ, मेरी धोती में आग लग गयी थी। मैंने उसका अवलोकन किया था। नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर जाकर बनाया गया था। मृतका के मृत्यु पूर्व बयान दिनांक 22.03.2015 को लिये थे। जिस दिन वादी ने थाने में तहरीर दी थी, उसी दिन एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी थी। मेरे द्वारा लोकेश के खिलाफ मुकदमा धारा-366,406,201 आई.पी.सी. के अन्तर्गत तलब किया गया था। एक-दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी लिये गये थे।

17. पी0 डब्लू0-5 डॉ0 हरवेन्द्र सिंह ने बताया कि "दिनांक 23.03.2015 को मृतका सुनीता पत्नी लोकेश का शव विच्छेदन हेतु श्री शिवनारायण शर्मा तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद के द्वारा भेजा गया था। शव सीलबंद अवस्था में समय सायं 5 बजे प्राप्त हुआ। शव को कांस्टेबल हिमांशु आर्य एवं होमगार्ड उर्मिला गुप्ता थाना सिविल लाइंस के द्वारा लाया गया था। शव की शिनाख्त लोकेश पुत्र लाखन सिंह के द्वारा की गयी। मृतका का 22.03.2015 को जिला अस्पताल मुरादाबाद में केंद्रीय पंजीकरण सं. 3284 के संदर्भ में जलने के उपरात इलाज किया गया। मृतका के शरीर के बालों से कैरोसिन तेल की महक आना वर्णित है। पीड़िता की मृत्यु दिनांक 23.03.2015 को 09:35am पर दर्शाया गया है। सभी जले हुए की चोटे मृत्यु पूर्व की थी।" जिरह में बताया कि "मेरे अलावा पैनल में डॉ0 राजकिशोर थे। मृतका की मृत्यु जलने के 12-16 घण्टे के बाद होना संभव है। बाये टखने पर जो शल्य कट का निशान था, वह एक सर्जिकल ब्लेड से लगाया गया था। शव हमें 5 बजे शाम को प्राप्त हुआ था। शव विच्छेदन और कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया में लगभग आधा पौन घण्टा लगा था।"

18. पी0 डब्लू0-6 ए.डी.एम. शिव नारायण शर्मा द्वारा बताया गया कि "मृतका पत्नी लोकेश निवासी चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइंस जिला मुरादाबाद के शव का पंचायतनामा मौके पर एसआई शबनम खान थाना सिविल लाइंस से बोल बोल कर भरवाया गया था। पंचान नियुक्त किये गये थे। राय पंचान लिखी गयी थी तथा पंचान के हस्ताक्षर तथा निशानी अगूठा कराये गये थे। मुझ तत्कालीन न्यायिक तहसीलदार द्वारा भी अपनी राय दी गयी थी। मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई है। फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए महिला होमगार्ड उर्मिला गुप्ता और कांस्टेबल हिमांशु आर्य को सुपुर्द किया गया था।" जिरह में बताया कि "जब मैं मौके पर पहुँचा था तब तक मृतका की मृत्यु हो चुकी थी। मुझे एसडीएम सदर द्वारा सूचना दी गयी थी। पुलिस मौके पर पहले से मौजूद थी। मृतका के परिवार की तरफ से मौके पर कोई नहीं था। मुझे इस समय बहुत पुरानी घटना होने के कारण पंचों के नाम ध्यान नहीं है। पंचायतनामे की कार्यवाही लगभग 3 बजे तक चली थी। पंचायतनामे पर मेरे ही हस्ताक्षर है।"

19. पी0 डब्लू0-7 के रूप में तहसीलदार श्री शर्मानन्द परीक्षित हुए जिन्होंने बताया कि मेरे द्वारा मृतका का जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में जाकर मृत्यु पूर्व बयान दिनांक 22.03.2015 को इलाज के दौरान आकस्मिक चिकित्साधिकारी के 08:10pm पर फिट घोषित करने पर अंकित किया गया था। इस स्तर पर मृतका के मृत्यु पूर्व बयान दिनाँक 22.03.2015 का सीलबंद लिफाफा खोला गया तो उसमें मृतका के मृत्यु पूर्व बयान को देखकर साक्षी ने बताया कि ये वही बयान है जो मृतका द्वारा मृत्यु पूर्व उसके बोलने पर मेरे द्वारा लेखबद्ध किया गया था। बयान से पूर्व वहाँ पर उपस्थित

आकस्मिक चिकित्साधिकारी द्वारा मृतका को मृत्यु पूर्व बयान के लिए फिट घोषित किया गया था। उक्त बयान मेरे द्वारा दिनांक 22.03.2015 को 08:20pm तक अंकित किया गया एवं मृतका के निशानी अंगूठा दाया पैर मृत्यु पूर्व बयान पर मेरे द्वारा लगवाकर प्रमाणित किया गया था। मृतका ने मृत्यु पूर्व बयान दिया था कि "मैं रोटी बना रही थी। मेरी धोती में आग लग गयी। यह आज शाम लगभग 6 बजे की बात है। मैं रोटी चूल्हे पर बना रही थी।" जिरह में बताया कि "जिस समय मैंने मृतका के बयान लिये थे वह ठीक से सुन पा रही थी और जवाब दे रही थी। मृतका के बयान दर्ज करने में मुझे लगभग 10 मिनट लगे थे। यह बात सही है कि मृतका ने मृत्यु से पूर्व बताया था कि वह चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसकी धोती में आग लग गयी थी जिस कारण वह झुलस गयी। मुझे जानकारी नहीं है कि मृत्यु पूर्व बयान के बाद कितने समय बाद मृतका की मृत्यु हुई थी। बयान पूर्ण होने के बाद मृतका के दाये पैर का अंगूठा मेरे द्वारा बयानों पर लगवाया गया था।"

इस प्रकार वादी मुकदमा की मृत्यु हो जाने के कारण उसे परीक्षित नहीं कराया जा सका। वादी मुकदमा का आरोप था कि उसकी पत्नी को लोकेश ने जलाकर मार दिया। पी0 डब्लू0-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि लोकेश तीन भाई थे, यह मृतका को लेकर आपस में लड़ते थे, इसी से तंग आकर उसने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली फिर लोकेश ने मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। पी0 डब्लू0-5 चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि मृतका के शरीर के बालों से कैरोसिन की दुर्गन्ध आ रही थी, इस तथ्य से पी0 डब्लू0-2 के साक्ष्य का समर्थन होता है परन्तु पीड़िता ने मृत्यु से पूर्व अपना मृत्यु कालिक कथन दिया था जिसमें उसने बताया कि वह रोटी बना रही थी तब उसकी धोती में आग लग गयी। यह आज शाम 6 बजे की बात है। आकस्मिक चिकित्साधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि मृतका मृत्यु पूर्व बयानों के लिए सचेत है व फिट है, ऐसी स्थिति में यह सन्देह होता है कि मृतका ने वास्तव में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली थी जैसा कि कथन पी0 डब्लू0-2 ने किया था या खाना बनाते समय जल गयी थी जैसा कि कथन पी0 डब्लू0-7 ने किया है, ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर चूँकि सन्देह है, सन्देह का लाभ सदैव अभियुक्त को प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त धारा-302 के लिए दोषसिद्ध करने योग्य नहीं है।

20. धारा-201 भा0 दं0 सं0, साक्ष्य विलोपन से सम्बन्धित है, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं है कि अभियुक्त द्वारा किसी साक्ष्य को विलोपित किया गया है। मृतका का मृत्यु पूर्व पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण जलकर मरना बताया गया है। मृत्यु पूर्व बयान के अनुसार मृतका खाना बनाते समय स्वयं जल गयी थी, ऐसी स्थिति में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिस आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल पाये कि अभियुक्त लोकेश ने साक्ष्य विलोपित किया है।

21. वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया था कि जब मृतका ने वादी का घर छोड़ा, उस समय वह 5 तोले की चैन व 2 कान के टॉप्स व पायल पहने हुए थी, उनके बारे में प्रार्थी को यह विश्वास है कि उसकी पत्नी का सारा जेवर बेच दिया और लोकेश व उसके परिवार वालों ने हड़प लिया परन्तु इस तथ्य को साबित करने के लिए वादी मुकदमा न्यायालय में मृत्यु हो जाने के कारण परीक्षित नहीं हो सका। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया है जिसके आधार पर इस धारा के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके, अतः सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए

अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

22. धारा-366 के सम्बन्ध में अभियुक्त पर यह आरोप वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर में लगाया था कि वह उसकी पत्नी को दिल्ली से बहला-फुसलाकर मुरादाबाद अपने घर ले आया। मृतका मृत्यु के समय अभियुक्त लोकेश के साथ ही रह रही थी, समस्त प्रपत्रों में मृतका के नाम के आगे पत्नी लोकेश ही वर्णित है, इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतका अभियुक्त लोकेश के साथ ही उक्त समय पर रह रही थी। वादी मुकदमा के घर से मृतका दिनांक 09.01.2015 को सुबह लगभग 08.30 बजे अस्पताल से अपनी दवाई लेने के लिए गयी थी, वहाँ से वह वापस नहीं आयी जैसा कि आरोप वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर में लगाया है, मृतका वयस्क थी यदि वह दवाई लेने की कहकर अपने पति से, निकली थी और अभियुक्त के साथ जाकर बतौर विवाहित पत्नी रही तो यह उसकी स्वेच्छा से जाना, दर्शित करता है यद्यपि कि पी0 डब्लू0-2 ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि लोकेश दिल्ली से मृतका को ले आया था जो पहले से शादीशुदा थी, इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि मृतका लोकेश के साथ ही मुरादाबाद आयी थी जो कि पहले से वादी मुकदमा से विवाहित थी। चूँकि उसके अवयस्क होने का दावा अभियोजन ने नहीं किया है, स्वयं की इच्छा से यदि कोई वयस्क महिला किसी पुरूष के साथ जाती है और विवाह कर लेती है तो उस आधार पर वह पुरूष धारा-366 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

धारा-366 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत प्रावधानित है कि *"यदि किसी स्त्री का व्यपहरण विवाह करने या आयुक्त संभोग करने के आशय से किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा-366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।"*

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट है कि घटना के समय दिनांक 09.01.2015 को पीड़िता वयस्क थी। विधि में 18 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति सहमति देने के लिए सक्षम है, अतः ऐसी स्थिति में धारा-366 के प्रावधान के तहत यह अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है कि घटना के समय मृतका को उसके पति की विधिपूर्ण संरक्षकता में से अभियुक्त संरक्षक की सहमति के बिना अपने साथ लेकर गया, इस प्रकार धारा-366 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध भी सन्देह से परे साबित नहीं है।

23. अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त लोकेश के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा–366,406 व 201 भारतीय दण्ड संहिता एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 भा0 दं0 सं0, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त लोकेश संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–790/2015, मुकदमा अपराध संख्या–187/2015, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद से संबंधित अभियुक्त **लोकेश** को धारा– 366,406 व 201 भारतीय दण्ड संहिता एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त उक्त अपराध के लिए जमानत पर हैं। अतः उसके जमानतनामें व बन्ध–पत्र

निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा–437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप मु0 50,000/– रुपये के व्यक्तिगत बंध–पत्र व इतनी ही राशि के दो प्रतिभू **अन्दर तीन दिन** इस उद्देश्य हेतु प्रस्तुत करें कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उसे तलब किया जाता है तो वह वहां उपस्थित होगा। यह बंध–पत्र छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

दिनांक–21.01.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613

उक्त निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–21.01.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613